कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छ.ग.)

Office E-mail – birgaonmcp@gmail.com

क्रमांक / 1706 / PMAY-HFA / न.पा.नि. / 2019 बीरगांव, दिनांक 27 / 09 / 2019

/ / दावा–आपत्ति आमंत्रण सूचना / /

एतद् द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन 2015–22 (HFA) के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना (AHP) मोर आवास–मोर चिन्हारी योजना में आवास निर्माण वर्तमान में उरला में निर्माणाधीन है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा–निर्देशानुसार अस्थायी गंदी बस्तियों (डेरापारा, नालापार, मोतीसागर तालाब के किनारे बीरगांव, बंजारी नगर झण्डा चौक, खेल मैदान रावांभाठा में निवासरत् कुल 379 हितग्राहियों को व्यवस्थापित किया जाना है। उक्त क्षेत्र में निवासरत् किसी भी हितग्राही का नाम संलग्न सूची में ना होने पर अथवा सूची में हितग्राही से संबंधित दर्शित जानकारियॉ गलत होने पर दिनांक 05 / 10 / 2019 तक कार्यालयीन अवधि में कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव के प्रधानमंत्री आवास योजना प्रकोष्ठ कक्ष क्रमांक 02 में अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख लिखित में दावा–आपत्ति संबंधित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत दावा–आपत्ति अमान्य होगी। हितग्राही की न्यूनतम् पात्रता संबंधी शर्ते निकाय के वेबसाईट व विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय में उपलब्ध है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला – रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. / 1707 / PMAY-HFA / न.पा.नि. / 2019 बीरगांव, दिनांक 27 / 09 / 2019

प्रतिलिपी :–

01. निज सहायक, माननीय विधायक, रायपुर ग्रामीण की ओर सादर सूचनार्थ।
02. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
03. माननीय सभापति, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्री / श्रीमती ....पार्षद वार्ड क्र. .... न.पा.नि. बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ
05. संपादक, दैनिक समाचार पत्र नवभारत की ओर आगामी साधारण अंक में न्यूनतम् स्पेश में प्रकाशनार्थ हेतु सादर अग्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत समाचार पत्र की दो प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने बाबत्।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला – रायपुर (छ.ग.)

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन 2015–22 (HFA) के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना (AHP) मोर आवास–मोर चिन्हारी योजना में हितग्राही की न्यूनतम् पात्रता संबधी शर्ते :–

01. हितग्राही एवं उसके परिवार के सदस्य के नाम पर भारत में कही पर भी पक्का मकान नही होना चाहिये।
02. हितग्राही द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी आवासीय योजना जैसे – BSUP-IHSDP एवं इसी प्रकार की अन्य योजना में पूर्व में लाभ न लिया गया हो।
03. वर्तमान में योजनान्तर्गत आवास निर्माणाधीन है पात्र हितग्राही को आवास की उपलब्धता एवं पात्रतानुसार शासन के दिशा–निर्देशानुसार आबंटित किया जावेंगा।
04. निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में हितग्राही को 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र देना होगा एवं किसी भी बिन्दु पर गलत जानकारी देने पर उसका आबंटन स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

नोट :– (01) दर्शित बिन्दु क्र. 01 से 04 तक पालन करने वाले आवेदनकर्ता ही पात्र होंगे।

(02) मकान के लिये हितग्राही अंशदान 75,000 रूपये निर्धारित है जिसका भुगतान एक मुश्त अथवा तय किश्तो में भी भुगतान किया जा सकता है।

(03)पात्र हितग्राहियों को आवास का आबंटन शासन के द्वारा जारी निर्देशो के अधीन आबंटित किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला– रायपुर (छ.ग.)